यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-6 वा णज्य कर, हरिद्वार, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-6 वा णज्य कर, हरिद्वार,के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नि खल गोस्वामी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री प्रवीण कुमार एवं ब्रज भूषण म ण त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों दिनांक 31.01.2018 से 06.02.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः आं शक क्षेत्र, हरिद्वार

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख में)
2014-15	--
2015-16	678.74
2016-17	1134.52

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						

2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....बी.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव (वत्त)-अपर स चव-आयुक्त कर- अपर आयुक्त- संयुक्त आयुक्त उपायुक्त / सहायक आयुक्त /राज्य कर आयुक्त

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-6 वा णज्य कर, हरिद्वार,को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-6 वा णज्य कर, हरिद्वार,की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन : लागू नहीं

व्यय: -

राजस्व: -

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–2 'ख'

प्रस्तर सं0–01:–ब्याज का वसूली न किये जाने से `0.12लाख की राजस्व क्षति ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–34 (4)के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय में जमा न करने पर ठीक आगामी तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारिख तक 15 प्रति0 वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड–06 वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री नीरज स्टोन क्रेशर क0नि0 वर्ष 2013–14 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा `10,33,521.00 की मांग सृजित की गई थी। उक्त मांग में से `30,225.00 व्यापारी का स्वीकृत कर था जिस पर 01.10.2013 से जमा करने की तिथि तक 1.25 प्रति0 प्रतिमाह की दर से ब्याज भी जमा करना था। जबकि व्यापारी द्वारा सिर्फ `30,660.00 दिनांक 16.06.016 **को** जमा किया गया लेकिन ब्याज जमा नहीं किया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त **धन**राशि `30,225/- पर (30,225×1.25प्रति0×32) = `12,090.00 का ब्याज जमा किया गया **जाना था जबक व्यापारी द्वारा ब्याज `435 (`30,660-`30225) जमा कया गया। अत: व्यापारी पर `11856 (`12291-`435) ब्याज और आरोपणीय है।**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित किया जाएगा जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अत: प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया **जाता** है।

भाग–2 'ख'

प्रस्तर सं0–02 :– कर का न्यूनारोपण `0.45 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–4 (2)(ख)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5प्रति की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड–06 वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री वंशिका पाउडर कोटिंग क0नि0 वर्ष 2013–14 में पाउडर कोटिंग की कुल बिक्री `5,25,350.00 का किया गया था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5प्रति0 की दर से कर आरोपित किया गया था। जबकि पाउडर कोटिंग उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के किसी भी अनुसूची से अच्छादित न होने के कारण उस पर नियमानुसार 13.5प्रति0 की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा किया गया 5,25,350.00 का पाउडर कोटिंग की बिक्री पर 8.5प्रति0 की अन्तरिय दर से `44,655.00 का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर **सू चत कया जायेगा** की जाएगी जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अत: प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया **जाता है।**

<u>भाग–2 ‘ख’</u>

प्रस्तर सं0–03 :– कर का अनारोपण–`0.33 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–4 (2)(ख)(i)(अ) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची–II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5प्रति0 की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड–06 वाणिज्य कर हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री अमन एण्टरइप्राईजेज क0नि0 वर्ष 2013–14 द्वारा व्यापारिक स्थिति निम्न प्रकार से दर्शाया गया–

प्रारम्भिक रह0	–	12,11,200.00
खरीद	–	9,48,257.00
बिक्री	–	11,94,750.00
अन्तिम स्टॉक	–	2,98,257.00

उपरोक्तानुसार नियमानुसार कम से कम बिक्री होनी चाहिए–

बिक्री= आ0 रह0+खरीद–अन्तिम रह0

=`12,11,200+`9,48,257–`2,98,257

= `18,61,200.00

इस प्रकार उपरोक्त बिक्री में लाभ भी जोड़ा जाए तो `6,66,450. 00,(18,61,200.00–11,94,750.00) के बिक्री पर कर लगने से रह गया था। अतः उपरोक्त बिक्री पर 5प्रति0 की दर से `33,322.00 का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी। **अतः** प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया **जाता है।**

भाग–2 'ख'

प्रस्तर सं0–04 :– अर्थदण्ड का अनारोपण `0.24 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–58 (i)(Xii) के प्रावधानों के अनुसार व्यापारी द्वारा अपना स्वीकृत कर बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के विलम्ब से जमा करता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रति0 का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)खण्ड–6 वाणिज्य कर,हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री नीरज स्टोन क्रेशर क0नि0 वर्ष 2011–12 में माह अप्रैल, 2011 एवं मई, 2011 एवं जनवरी 2012 के कुल स्वीकृत कर– `2,91,941.00 का बिना किसी युक्ति–युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–58 (i)(Xii) के प्रावधानों के अनुसार कम से कम 10प्रति0 की दर से `24,223/- का अर्थदण्ड का आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित किया जाएगा जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-6 वा णज्य कर, हरिद्वार, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   भाग 2 (ख) प्रस्तर- 01,02,03,04

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती नेहा मश्रा	अ स0क म0

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि.), खण्ड-6 वा णज्य कर, हरिद्वार, को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र